न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 43/2024

मनीष प्रतापहरि पुत्र श्री सजन सिंह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला अनुपगढ़ काश्तकार चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड तह. व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. नसीब कौर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह जाति बाजीगर निवासी चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड तह. व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. बलतेज सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति बाजीगर निवासी चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड तह. व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राज0)

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री भारत भूषण नागपाल – – प्रार्थी
2. श्री हंसराज तनेजा – – अप्रार्थी 1 व 2
3. पैरोकरा राज – – अप्रार्थी 3

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 17.01.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड पटवार हल्का मटीलीराठान "बी" तह व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 52/55 के मुरब्बा नम्बर 21 के किलानम्बर 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25 की कुल 1.265 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है एवं इसी चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड पटवार हल्का मटीलीराठान "बी" तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/32 के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20 की कुल 1.493 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से ब: हिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड पटवार हल्का मटीलीराठान "बी" तह व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 20 में 0.025 है. का सरकारी रास्ता स्वीकृत है उक्त किला नम्बर 20 के पश्चिमी दिशा की साइड में सज्जन सिंह के रकबा के साथ चिपता हुआ का काफी वर्षो से पारस्परिक सहमति से लेन देन करके की गई व्यवस्था अनुसार आम रास्ता के रूप में प्रयोग करके प्रार्थी द्वारा अपने रकबा में प्रवेश किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा रोजमर्रा के कृषि कार्य किए जाते है। उक्त मद में वर्णित अनुसार मौका पर चल रहे रास्ता का प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए प्रयोग कर रहा है । प्रार्थी ने दिनांक 24.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के समक्ष उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने का प्रस्ताव रखा तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने, प्रार्थी की बात को ठुकरा दिया तथा रास्ता बन्द करने की धमकी दी । बस

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

यही वाद कारण है इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी नेकनीयत है, प्रार्थी रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है अन्यथा प्रार्थी के खेत में जाने के लिए चली आ रही व्यवस्था समाप्त हो जावेगी । उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने आज से पूर्व रास्ता के सम्बन्ध में भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। उक्त रास्ता की एवज में लेन देन किया हुआ है फिर भी यदि श्रीमान जी न्यायालय द्वारा कोई राशि आरोपित की जाती है तो प्रार्थी अदा कर देगा । प्रार्थना पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है । प्रार्थना पत्र वाद कारण से विना किसी विलम्ब के पेश है प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी का शपथ पत्र एवं सम्बन्धित जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात संलग्न है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न अनुतोष दिलवाया जावे :–

(क) कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड के खाता संख्या 38/22 के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 1.493 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 20 के पश्चिमी दिशा की साईड में सज्जन सिंह के रकबा के साथ चिपता हुआ 0.013 है. का रास्ता स्वीकृत किया जावे।

(ख). उक्त रास्ता का राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग). प्रार्थी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ). अन्य कोई अनुतोष जो प्रार्थी के हित में माननीय न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आ.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार तथ्य गलत व झूठे होने के कारण स्वीकार नही है । चक 14 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 20 में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। किला नम्बर 20 के पश्चिमी दिशा में सरकारी खाला पक्का चल रहा है जिससे पूरे चक को पानी लगता है वहां ना तो कभी कोई रास्ता रहा ना ही कोई रास्ता चालू है वहां सरकारी खाला के साथ ही अप्रार्थीगण की 20 वर्ष पुरानी पक्की ढाणी बनी हुई है जिसमें अप्रार्थीगण निवास करते आ रहे है। यह कहना कतई गलत है कि पारस्परिक सहमति से लेन देन करके किसी रास्ते का प्रयोग किया जाता रहा है जब चाहे गये रास्ते के लिए जगह ही नहीं है तो आने–जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जब कोई रास्ता चल ही नहीं रहा है उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है प्रार्थी दिनांक 24–03–2024 को या उससे पहले व बाद में अप्रार्थीगण से नहीं मिला। यह तथ्य प्रकरण का आधार बनाने के लिए झूठे लिखवाये है। इसलिए प्रार्थी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए भी उसका प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है जब कोई रास्ते की व्यवस्था चल ही नहीं रही तो उसके समाप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जहां से रास्ता चाहा गया है वहां कोई रास्ते की जगह ही नहीं है मौका पर पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट में भी यही दर्शाया हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का कोई लेन देन नहीं हुआ व ना ही कभी कोई ऐसी बात हुई यह सारी बातें झूठी व मनगढन्त है। इसलिए जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त कथन– प्रार्थी द्वारा रास्ता हेतू प्रार्थना पत्र पेश करने में वाद श्रीमान् न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर से मौका स्थिति की रिपोर्ट चाही गई। पटवारी हल्का व गिदावर द्वारा मौका पर जाकर चाहे गये रास्ते का मौका निरीक्षण किया तो उन्होने भी यही पाया है कि आवेदित रास्ता में मौके पर पक्का खाला व अप्रार्थीगण की पक्की ढाणी बनी हुई है जो रिपोर्ट दिनांक 02–05–2024 को श्रीमान् न्यायालय में भेजी गई है उसके क्रमांक संख्या 5 (ग) में स्पष्ट अंकित किया गया है कि आवेदित रास्ता में मौका पर पक्का खाला व अप्रार्थीगण की पक्की ढाणी बनी होने से आवेदित रास्ता प्रार्थी को दिया जाना उपयुक्त नहीं है जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है प्रार्थी ने जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है किला नम्बर 20 के पश्चिमी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दिशा में किसी सजन सिंह की भूमि भी नहीं है व वहां कभी रास्ता रहा भी नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज होने योग्य हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 से रास्ता के सम्बन्ध में लेन देन किया हुआ है। प्रार्थी को रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थी को रास्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. स्वीकृत किया जावे। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 251–ए में चाहे गये रास्ता में मौका पर पक्का खाला बना हुआ है तथा अप्रार्थीयान की पक्की ढाणी बनी हुई है एवम् प्रार्थी द्वारा मुरबा नम्बर 21 के किला नम्बर 12 के प्रभावित खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अनुतोषिक रास्ता की भूमि संयुक्त खाता की आराजी है। जिसमें प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर बराबर का अधिकार होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पक्षकारों के संयोजन का अभाव रखा है। न्यायालय उक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नहीं पाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner